भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1823
बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पहाड़ी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा

1823. श्री अमरसिंह टिस्सोः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम के कार्बी आंगलोंग जैसे दूरस्थ आदिवासी और पहाड़ी जिलों में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो वित्तपोषण और कार्यान्वयन की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वंचित क्षेत्रों में सरकारी भवनों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए छत पर सौर ऊर्जा स्थापना का समर्थन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में ऐसी विकेन्द्रीकृत सौर पहलों का विस्तार करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या कार्बी आंगलोंग में किसी गांव या सार्वजनिक संस्थान को इन पहलों के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, ऑफ-ग्रिड प्रणालियां (सौर होम लाइटिंग प्रणालियां/सौर मिनी ग्रिड) जनजातीय और पीवीटीजी परिवारों, बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) तथा जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थानों को प्रदान की जाती हैं, जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

सरकार, इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर रही है, जिसका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, 2805 परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) सरकारी भवनों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना से परिपूर्ण करना प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के घटकों में से एक है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें विभिन्न कार्यान्वयन मॉडल प्रदान किए गए हैं और केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके भवनों पर रूफटॉप सौर लगाने में सहायता करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग में अनुभवी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) को आवंटित करना शामिल है ।

(घ) एवं (ङ) प्रधानमंत्री जनमन और डीए जेजीयूए के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई है। अभी तक कार्बी आंगलोंग में किसी गांव या सार्वजनिक संस्थान को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

इसके अलावा, सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में विकेंद्रीकृत सौर पहलों को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी:एमबीवाई) और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है।

'पहाड़ी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1823 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

प्रधानमंत्री जनमन और डीए जेजीयूए के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजाति और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) के तहत सीएफए प्रावधान

घटक	सीएफए प्रावधान
1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी परिवारों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान	50,000 रुपये प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार
पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में सौर स्ट्रीट लाइटिंग और प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के तहत)	प्रति एमपीसी 1 लाख रुपये
ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)	प्रति सार्वजनिक संस्थान 20 किलोवाट की अधिकतम सौर पीवी क्षमता के साथ 1 लाख रुपये प्रति किलोवाट

'पहाड़ी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1823 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

लाभान्वित परिवारों का विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**विद्युतीकृत घरों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	175
2	छत्तीसगढ	729
3	झारखंड	1286
4	कर्नाटक	179
5	तेलंगाना	126
6	त्रिपुरा	310
कुल		**2805**

*****